



Neutral Citation No. - 2026:AHC:22644

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 3687/2026

भूरीलाल

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता: हिमांशु शुक्ला, प्रतीक्षा राय

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत वर्तमान याचिका में याची द्वारा मांगी गई एकमात्र राहत प्रत्यर्थी संख्या 2, अर्थात् उप-जिलाधिकारी, अतर्रा, जनपद बांदा को निर्देश देना है कि वह वाद संख्या 01/2020 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी202507110301677) में लंबित दिनांक 10.02.2025 के रिकॉल (पुनर्विचार) आवेदन को एक निर्धारित अवधि के भीतर तय करें और उपरोक्त मामले के लंबित रहने के दौरान प्रत्यर्थीगण याची के रास्ते में बाधा न डालें।
3. यहाँ प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण को नोटिस भेजने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो उनके आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने के अधिकार को सुरक्षित रखा जा रहा है।
4. अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि पूरी याचिका में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि कोई असाधारण स्थिति है और न ही याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में कोई तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय को उक्त वाद को समयबद्ध तरीके से तय करने का निर्देश दिया जाए, सिवाय इस तथ्य के कि वाद वर्ष 2020 में दायर किया गया है।
5. उपरोक्त के आलोक में, याची को कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती। हालांकि, अधीनस्थ न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त मामले को कानून के अनुसार कड़ाई से छह सप्ताह की अवधि के भीतर बिना किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए तय करे, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।
6. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका निस्तारित की जाती है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

2 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



विनोद।

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"